उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या–4836 / 9–3–2012–75डब्लू / 2012
लखनऊः दिनॉकः 09 जनवरी, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियंता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूचीं क्रमशः दिनांक 09.09.1996 व दिनांक 17.12.2003 तथा सहायक अभियन्ता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 12.09.1996 व दिनांक 01.02.2003 को एकजाई कर संशोधित करते हुये उसके स्थान पर, वर्तमान में उक्त सेवा में कार्यरत कार्मिकों की संवर्ग के मौलिक पद अर्थात सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से, सहायक अभियन्ता/''बी'' श्रेणी जलकल अभियन्ता की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4714 / 9–3–12–75डब्लू / 2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 द्वारा आपत्तियों / सुझाव हेतु प्रसारित की गयी थी।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–2608 / 2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030 / 2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम निर्णय / आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–4 / 1 / 2002टीसी–1–का–2 / 2012 दिनांक 08 मई, 2012 व सपठित शासनादेश संख्या–4 / 1 / 2002टीसी–1–का–2 / 2012 दिनांक 13 मई, 2012 निर्गत किया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13.05.2012 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित बिन्दु सं0–6(ख)(ब) में पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियों के बारे में यह निर्देश प्रसारित किया गया है कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली–1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

4. इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय / आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 को निर्गत किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये

नगर विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–4637/9–3–12–75डब्लू/2012, दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा–संशोधित 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991' के अनुसार अवधारित की जायेगी।

5. इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–13/2/91–टी.सी. –का–1–2012 दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–4/1/2002टी.सी.–।।–का–2/2012दिनांक 08 मई, 2012, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) को निकाले जाने के सम्बन्ध में विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2012, को प्रसारित किया गया है, में निहित प्राविधानानुसार, उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं की पूर्व में निर्गत की गयी पृथक–पृथक अन्तिम ज्येष्ठता सूचियों को एकजाई करते हुये 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दिये जाने के उद्देश्य से सहायक अभियन्ता/''बी'' श्रेणी जलकल अभियन्ता की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4714/ 9–3–12–75डब्लू/ 2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 द्वारा आपत्तियों/सुझाव हेतु प्रसारित की गयी थी, जिसमें दिनॉक 28–12–2012 तक आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थीं।

6. उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर दिनॉक 28–12–2012 तक कुल–25 आपत्तियॉ प्राप्त हुई। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण तथा वरिष्ठता सूची के निर्धारण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–2608/2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 को निर्गत किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित निर्देशो, उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित, 2012) के नियम–21 व 26 तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–13/2/91–टी0सी0 –का–1–1991, दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–13/2/91–टी.सी. –का–1–2012 दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–4/1/2002टी.सी.–।।–का–2/2012 दिनांक 08 मई, 2012, द्वारा प्रसारित विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2012 के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार किया गया है।

7. प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:–

(1) श्री राधेश्याम यादव, अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 21.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 18.12.2012 द्वारा प्रकाशित की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम कमांक–34 पर अंकित है, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता बी.ई. दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता एम.ई. है।

श्री राधेश्याम यादव, अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा की गयी उक्त आपत्ति पर उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/तकनीकी योग्यता सम्बन्धी मार्कशीट के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता बी.ई. के स्थान पर एम.ई. अंकित कर दिया गया है।

(2) श्री अशोक कुमार पुरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2354/9–3–08–256डब्लू/86टी.सी.(5), दिनॉक 16–07–2008 द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में उनका नाम कमांक–19 पर अंकित था। दिनॉक 18–12–2012 को प्रकाशित की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम अंकित नहीं किया गया है। उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति वर्ष 1981 में हुई थी तथा वह दिनॉक 30–6–2008 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः श्री पुरी द्वारा वर्ष 1981में हुई उनकी पदोन्नति के कम में वरिष्ठता सूची में उनका नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री अशोक कुमार पुरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 12–09–1996 द्वारा प्रकाशित सहायक अभियन्ता/"बी" श्रेणी, जलकल अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री पुरी का नाम कमांक–15 पर अंकित है। यद्यपि सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त इस ज्येष्ठता सूची में श्री पुरी का नाम सम्मिलित किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है तथापि श्री पुरी द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर श्री पुरी का नाम यथास्थान वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

(3) श्री रतन लाल, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2012 में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि उनकी शैक्षिक योग्यता बी.ई. यांत्रिक है, जबकि शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 18.12.2012 द्वारा प्रकाशित की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनकी शैक्षिक योग्यता ए.एम.आई.ई. अंकित है। इस सम्बन्ध श्री रतन लाल द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बी.ई. सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता बी.ई. यांत्रिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रतन लाल, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा की गयी उक्त आपत्ति पर उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता ए.एम.आई.ई. के स्थान पर बी.ई. यांत्रिक अंकित कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त श्री रतन लाल द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा शासन से उच्च अध्ययन हेतु अनुमति के साथ बी.ई. यांत्रिक की डिग्री वर्ष 1991 में उत्तीर्ण करते हुए नियुक्ति/पदोन्नति हेतु प्रार्थना की गयी थी, किन्तु उन्हें डिग्री कोटे के अन्तर्गत वर्ष, 1995 में सहायक अभियन्ता (जल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जबकि रिक्तियॉ विद्यमान थीं, यदि तत्काल लाभ मिलता तो, ज्येष्ठता सूची में स्थिति भिन्न होती। इसके अतिरिक्त श्री रतन लाल द्वारा यह कहा गया है कि रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 15.05.2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी थी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनॉक 30–9–2011 को पारित होने के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय दिनॉक 15.05.2009 प्रभावी हो गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनॉक 09–09–1996 एवं 17–12–2003 को अधिशासी अभियन्ताओं की निर्गत ज्येष्ठता सूची के आधार पर याची व अन्य पात्र अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति मौलिक पद महाप्रबन्धक (जल) के पद पर 10 अप्रैल, 2006 को की जा चुकी है। उक्त संवर्ग में महाप्रबन्धक (जल) के पश्चात् पदोन्नति नहीं होनी है। अतः महाप्रबन्धक (जल) की सूची अलग से होनी चाहिए।

श्री रतन लाल द्वारा यह भी कहा गया है कि ज्येष्ठता सूची दिनॉक 09–9–1996 एवं दिनॉक 17–12–2003 परिणामी ज्येष्ठता (8क) के आधार पर निर्गत नहीं हुई थी, बल्कि उ0प्र0 जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए बनायी गयी थी। नियमतः जब यह ज्येष्ठता सूची के उपलब्ध सभी कार्मिक पदोन्नति प्राप्त कर लेते, तो नवीन ज्येष्ठता सूची बनायी जानी थी, जोकि नहीं किया गया है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 को निर्गत हुई है, जिसके पैरा–1(3) में यह प्राविधानित है कि यह गजट में प्रकाशन होने के दिनॉक से प्रभावी होगी। जलकल केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1996 के नियम–20 का संशोधन नहीं किया गया है। सम्प्रति यह अद्यतन प्रभावी है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 से पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। चूँकि वह उक्त संशोधन के पूर्व संगत नियमावली के प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता प्राप्त कर चुके थे और पदोन्नति हेतु पूर्णतः अर्ह थे। अतः इसके तहत उनकी ज्येष्ठता 17–12–2003 की ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित ज्येष्ठता ही रहनी चाहिए। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम में आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी है (प्रथम व्यक्ति पदोन्नति का तथा दूसरा व्यक्ति सीधी भर्ती का) उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 24–03–1995 से की गयी थी, जबकि उक्त पदोन्नति पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जानी थी, अतः उनको ज्येष्ठता उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रदान की जाय न कि पदोन्नति की तिथि से। तत्समय प्रभावी सेवा नियमावली के प्राविधानों के तहत सहायक

अभियन्ता (जल) के पद पर नियुक्ति के दो श्रोत थें। प्रथम उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद पर पोषक संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा। उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता (प्रथम कार्मिक पदोन्नति का तथा दूसरा कार्मिक सीधी भर्ती का) निर्धारित की जानी थी। यदि पदोन्नतियां बाद में की गयी थीं तो उनके स्थान रिक्त रखे जाने चाहिए थें तथा पदोन्नति के उपरान्त उनको उन रिक्त स्थानों पर निर्धारित किया जाना था। यदि पदोन्नति के पद सेवानिवृत्त से खाली होने के फलस्वरूप उनके कनिष्ठ पदोन्नति वाले कार्मिकों को उक्त खाली स्थानों पर ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना चाहिए था। ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगण के ऊपर विभिन्न वर्षों में शत–प्रतिशत कार्मिक सीधी भर्ती के रखे गये हैं। सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षो में सीधी भर्ती के कार्मिकों के सापेक्ष पदोन्नति श्रेणी के कार्मिकों की भी पदोन्नति करते हुए उनके नाम चक्रानुक्रम से सम्बन्धित वर्षों में रखे जाने चाहिए थें, क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में सीधी भर्ती की रिक्तियां निश्चित थी तो उतनी ही संख्या में पदोन्नति संवर्ग की रिक्तियां भी थी। अतः उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष अवधारित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान की जानी चाहिए।

श्री रतन लाल, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा की गयी उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनॉक 16–7–2008 को प्रख्यापित अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं तद्नुक्रम में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों पर नियमित चयन के फलस्वरूप निर्गत पदोन्नति आदेश दिनॉक 18–7–2008 से क्षुब्ध होकर श्री आलोक कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या– 1056(एस/बी)/2008 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनॉक 15–5–2009 को अन्तिम आदेश पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त अन्तिम आदेश दिनॉक 15–5–2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी। इसके अलावा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 15–5–2009 को प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा भी एस0एल0पी0 संख्या–18859/2009 के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28–8–2009 को उक्त दोनो एस0एल0पी0 को एकजाई करते हुए status quo बनाये रखे जाने आदेश पारित किये गये। कालान्तर में उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को, जोकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 अर्थात नियम–8ए के

अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए बनायी गयी थी, को किसी भी कार्मिक द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अधिशासी अभियन्ता की उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को अनारक्षित संवर्ग के कार्मिक (श्री आलोक कुमार शर्मा) द्वारा अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया। इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनॉक 30–9–2011 के फलस्वरूप विधिक रूप से रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 15–5–2009 अन्तिम एवं प्रभावी हो जाने के आधार पर याची श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2011 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2887/9–3–2012–56डब्लू/2010, दिनांक 12.09.2012 द्वारा श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (जल) को उनसे कनिष्ठ श्री बी0के0 पाण्डेय व अन्य की महाप्रबंधक के पद पर दिनांक 18.07.2008 से की गयी पदोन्नति की तिथि से महाप्रबंधक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

इसी मध्य उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–1389 (एस/बी)/ 2007 प्रेम कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य व इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 04 जनवरी, 2011 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Thus , all the writ petition in the bunch do not require any separate discussion and for the reasons aforesaid, they shall also be governed by the present judgment.

For the reasons given above and the discussions made, we declare the provisions of Section3(7) of the Act, 1994 and that of Rule 8-A of the U.P Government Servants Seniority (Third Amendment) Rules, 2007 as invalid, ultra virus and unconstitutional. Consequently, the Government Order dated 17-10-2007 is also hereby quashed.

In view of our finding that reservation in promotion as provided under Section3(7) of the Act, 1994 is no more available, the Eligibility List Rules, 1986 as amended in 1995 and 2001, in so far as they provide for preparation of separate eligibility list of general category and scheduled castes and scheduled tribes candidates with accelerated seniority, lose their significance and shall remain no more operative.

Consequent to the aforesaid declaration, we quash all the seniority lists, which have been prepared by applying Rule 8A and are subject-matter of challenge in their respective writ petitions in the bunch. This direction will equally be applicable to all the departments of the State Government and the Corprorations, etc.

We further clarity that in case the State Government decides to provide reservation in promotion to any class or classes of posts in the services under the state, it is free to do so after undertaking the exercise as required under the consititutional provisions, keeping in mind the law laid down by the Apex court in the case of M. Nagraj But till such an exercise is done and enactment/Rule is consequently made, no reservation in promotion on any post or classes of posts under the services of the State including the corporations,etc. Shall be made henceforth. Howerver, all promotions already made as per the provision/rule of reservation where the benefit of Rule 8-A has not been given, while making the promotions, shall not be disturbed by the declaration aforesaid and shall stand protected.

All the writ petitions are, therefore, allowed. Costs easy.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 04 जनवरी, 2011 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 2608/2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम निर्णय/आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04–01–2011 एवं इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 27–04–2012 के आलोक में उपरोक्त परिस्थितियों में उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04. 2012 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को ही संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.11.1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था पांच वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 16.11.1997 तक ही अनुमन्य की गयी थीं। चूंकि श्री रतन लाल को आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता(जल) एवं महाप्रबन्धक(जल) के पद पर क्रमशः दिनांक 05.10.2001 व दिनांक 10.04.2006 को पदोन्नति प्रदान की गयी है और सहायक अभियन्ता के पद पर उनकी पदोन्नति डिग्री कोटे के अन्तर्गत दिनांक 24.03.1995 को की गयी है। अतः नियमानुसार सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 24.03.1995 से ही उन्हें वरिष्ठता प्रदान की गयी है। इस प्रकार

प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 का अनुपालन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को दिये गये निर्देशों के अधीन किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 को जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था/निर्देशों के तहत ही उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–26 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता अवधारित की गयी **है। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–9(5) में यह व्यवस्था है कि '' उस संवर्ग की, जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।''** अतः उक्त के आधार पर मौलिक पद, सहायक अभियन्ता के पद से ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

इसके अतिरिक्त **उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निम्नवत् व्यवस्था है:–**

<u>नियम–8</u>–''जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये है:–

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों को विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो:

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार, कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(ग) जहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, के नियम–8 में निहित उक्त व्यवस्था के अनुसार जहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि सहायक अभियन्ता पद के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन एक ही चयन वर्ष में नहीं किये गये है, अपितु अलग–अलग चयन वर्ष में किये गये हैं अतः ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियमानुसार चक्रानुक्रम में रखा जाना संभव नहीं पाया गया। ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता दिये जाने की व्यवस्था है, रिक्ति की तिथि से ज्येष्ठता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त प्राविधानों के तहत ही श्री रतन लाल के संदर्भ में मूल पद सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 24.03.1995 से वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः तदनुसार श्री रतन लाल का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(4) श्री महेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता (जल), द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 25.12.2012 में यह कहा गया है कि रिट याचिका संख्या–1056 (एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 15.05.2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी थी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनॉक 30–9–2011 को पारित होने के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय दिनॉक 15.05.2009 प्रभावी हो गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनॉक 09–09–1996 एवं 17–12–2003 को अधिशासी अभियन्ताओं की निर्गत ज्येष्ठता सूची के आधार पर याची व अन्य पात्र अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति महाप्रबन्धक(जल) के पद पर 03 सप्ताह के अन्दर किया जाना था। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पूर्व एवं बाद में महाप्रबन्धक(जल) की रिक्तियां विद्यमान थी और उक्त ज्येष्ठता सूची में पात्र कार्मिक ही उपलब्ध थे, परन्तु शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.09 का अनुपालन नहीं किया गया बल्कि आंशिक अनुपालन करते हुये श्री आलोक कुमार शर्मा को उनसे कनिष्ठ श्री वी0के0 पाण्डेय को महाप्रबन्धक(जल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 18.07.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी एवं तत्सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 12.09.2012 निर्गत किया गया। श्री आलोक कुमार शर्मा को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति की गयी थी। उनकी व अन्य कार्मिक को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी, जबकि 17.12.2003 की ज्येष्ठता सूची में वह भी पात्र अधिशासी अभियन्ता थे। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सदाशयता

से पालन नहीं किया गया। यदि सदाशयता से पालन किया गया होता तो उनकी पदोन्नति महाप्रबन्धक के पद पर हो गयी होती।

श्री महेश चन्द्र द्वारा यह भी कहा गया है कि ज्येष्ठता सूची दिनॉक 09–9–1996 एवं दिनॉक 17–12–2003 परिणामी ज्येष्ठता (8क) के आधार पर निर्गत नहीं हुई थी, बल्कि उ0प्र0 पालिका जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए बनायी गयी थी। नियमतः जब यह ज्येष्ठता सूची के उपलब्ध सभी कार्मिक पदोन्नति प्राप्त कर लेते, तो नवीन ज्येष्ठता सूची बनायी जानी थी, जोकि नहीं किया गया है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 को निर्गत हुई है, जिसके पैरा–1(3) में यह प्राविधानित है कि यह गजट में प्रकाशन होने के दिनॉक से प्रभावी होगी। जलकल केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1996 के नियम–20 का संशोधन नहीं किया गया है। सम्प्रति यह अद्यतन प्रभावी है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 से पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। चूँकि वह उक्त संशोधन के पूर्व संगत नियमावली के प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता प्राप्त कर चुके थे और पदोन्नति हेतु पूर्णतः अर्ह थे। अतः इसके तहत उनकी ज्येष्ठता 17–12–2003 की ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित ज्येष्ठता ही रहनी चाहिए। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम में आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी है (प्रथम व्यक्ति पदोन्नति का तथा दूसरा व्यक्ति सीधी भर्ती का) उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 14.02.1997 से की गयी थी, जबकि उक्त पदोन्नति पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जानी थी, अतः उनकी ज्येष्ठता उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रदान की जाय, न कि पदोन्नति की तिथि से। तत्समय प्रभावी सेवा नियमावली के प्राविधानों के तहत सहायक अभियन्ता (जल) के पद पर नियुक्ति के दो स्रोत थें। प्रथम उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद पर पोषक संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा। उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता (प्रथम कार्मिक पदोन्नति का तथा दूसरा कार्मिक सीधी भर्ती का) निर्धारित की जानी थी। यदि पदोन्नतियां बाद में की गयी थीं तो उनके स्थान रिक्त रखे जाने चाहिए थें तथा पदोन्नति के उपरान्त उनको उन रिक्त स्थानों पर निर्धारित किया जाना था। यदि पदोन्नति के पद सेवानिवृत्त से खाली होने के फलस्वरूप उनके कनिष्ठ पदोन्नति वाले कार्मिकों को उक्त खाली स्थानों पर ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना चाहिए था। ज्येष्ठता सूची में उनके ऊपर विभिन्न वर्षों में शत–प्रतिशत कार्मिक सीधी भर्ती के रखे गये हैं। सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षो में सीधी भर्ती के कार्मिकों के सापेक्ष पदोन्नति श्रेणी के कार्मिकों की भी पदोन्नति करते हुए उनके नाम चक्रानुक्रम से सम्बन्धित वर्षों में रखे जाने चाहिए थें, क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में सीधी भर्ती की रिक्तियां निश्चित थी तो उतनी ही संख्या में पदोन्नति संवर्ग की रिक्तिया भी थी। अतः उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष अवधारित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री महेश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनॉक 16–7–2008 को प्रख्यापित अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं तद्नुक्रम में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों पर नियमित चयन के फलस्वरूप निर्गत पदोन्नति आदेश दिनॉक 18–7–2008 से क्षुब्ध होकर श्री आलोक कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनॉक 15–5–2009 को अन्तिम आदेश पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त अन्तिम आदेश दिनॉक 15–5–2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी। इसके अलावा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 15–5–2009 को प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा भी एस0एल0पी0 संख्या–18859/2009 के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28–8–2009 को उक्त दोनो एस0एल0पी0 को एकजाई करते हुए status quo बनाये रखे जाने आदेश पारित किये गये। कालान्तर में उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को, जोकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 अर्थात नियम–8ए के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए बनायी गयी थी, को किसी भी कार्मिक द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अधिशासी अभियन्ता की उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को अनारक्षित संवर्ग के कार्मिक (श्री आलोक कुमार शर्मा) द्वारा अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया। इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनॉक 30–9–2011 के फलस्वरूप विधिक रूप से रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 15–5–2009 अन्तिम एवं प्रभावी हो जाने के आधार पर याची श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2011 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2887/9–3–2012–56डब्लू/2010, दिनांक 12.09.2012 द्वारा श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (जल) को उनसे कनिष्ठ श्री बी0के0

पाण्डेय व अन्य की महाप्रबंधक के पद पर दिनांक 18.07.2008 से की गयी पदोन्नति की तिथि से महाप्रबंधक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

इसी मध्य उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–1389 (एस/बी) /2007 प्रेम कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य व इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 04 जनवरी, 2011 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Thus , all the writ petition in the bunch do not require any separate discussion and for the reasons aforesaid, they shall also be governed by the present judgment.

For the reasons given above and the discussions made, we declare the provisions of Section3(7) of the Act, 1994 and that of Rule 8-A of the U.P Government Servants Seniority (Third Amendment) Rules, 2007 as invalid, ultra virus and unconstitutional. Consequently, the Government Order dated 17-10-2007 is also hereby quashed.

In view of our finding that reservation in promotion as provided under Section3(7) of the Act, 1994 is no more available, the Eligibility List Rules, 1986 as amended in 1995 and 2001, in so far as they provide for preparation of separate eligibility list of general category and scheduled castes and scheduled tribes candidates with accelerated seniority, lose their significance and shall remain no more operative.

Consequent to the aforesaid declaration, we quash all the seniority lists, which have been prepared by applying Rule 8A and are subject-matter of challenge in their respective writ petitions in the bunch. This direction will equally be applicable to all the departments of the State Government and the Corprorations, etc.

We further clarity that in case the State Government decides to provide reservation in promotion to any class or classes of posts in the services under the state, it is free to do so after undertaking the exercise as required under the consititutional provisions, keeping in mind the law laid down by the Apex court in the case of M. Nagraj But till such an exercise is done and enactment/Rule is consequently made, no reservation in promotion on any post or classes of posts under the services of the State including the corporations,etc. Shall be made henceforth. Howerver, all promotions already made as per the provision/rule of reservation where the benefit of Rule 8-A has not been given, while making the promotions, shall not be disturbed by the declaration aforesaid and shall stand protected.

All the writ petitions are, therefore, allowed. Costs easy.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 04 जनवरी, 2011 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 2608/2011 व

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम निर्णय/आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04–01–2011 एवं इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 27–04–2012 के आलोक में उपरोक्त परिस्थितियों में उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को ही संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.11.1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था पांच वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 16.11.1997 तक ही अनुमन्य की गयी थीं। श्री महेश चन्द्र को आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता(जल) के पद पर दिनांक 09.05.2003 को तथा सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 14.02.1997 को पदोन्नति प्रदान की गयी है। चूंकि श्री महेश चन्द्र को आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता(जल) के पद पर दिनांक 09.05.2003 से पदोन्नति प्रदान की गयी है, जो दिनांक 16.11.1997 के बाद की है। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद धारा–3(7) का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। इनकी वरिष्ठता नियमानुसार सवंर्ग के मूल पद, अर्थात सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14.02.1997 से ही अवधारित की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 का अनुपालन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को दिये गये निर्देशों के अधीन किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 को जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था/निर्देशों के तहत ही उ0प्र0 पालिका और ज़ल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–26 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता अवधारित की गयी है। **उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–9(5) में यह व्यवस्था है कि '' उस संवर्ग की, जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की**